पुनर्गठन

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन / विधि / पंरावि / 2019 / **745** जयपुर, दिनांक:**11.7.2019**

ज़िला कलेक्टर ,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः– पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन।
प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 514 दिनांक 12.6.2019 ।

प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में लेख है कि उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन कार्य हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया था। उक्त कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा कर निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाता हैः–

ज़िला कलेक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार कर प्रकाशन के लिये	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए	ड्राफ्ट प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई करने के लिए	सुनवाई के उपरान्त प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भिजवाने के लिए
45 दिवस (15 जून से 29 जुलाई, 2019 तक)	30 दिवस (30 जुलाई से 29 अगस्त, 2019 तक)	05 दिवस (30 अगस्त से 04 सितम्बर, 2019 तक)	03 दिवस (05 सितम्बर से 07 सितम्बर, 2019 तक)

उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रमानुसार आप समस्त प्रस्ताव दिनांक **07 सितम्बर, 2019** तक **मंगल फोन्ट (Mangal Font)** में ही **सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी** में आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान।
11. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)